संक्षिप्त

छात्रों का एक्सपोजर हुआ रवाना

निवाई। टोंक जिला स्तर से विशेष आवश्यकता वालें छात्रों का दो दिवसीय एक्सपोजर विजिट रणथंभोर सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड व शिवाड के लिए रवाना हुआ है। प्राचार्य देवेंद्रपाल सिंह ने बताया कि उक्त एक्सपोजर विजिट में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निवाई का 8 सदस्यीय दल विशेष टीचर हेमराज चौधरी व रामावतार स्वामी के नेतृत्व में टोंक जिला मुख्यालय से रवाना हुआ। इस एक्सपोजर विजिट में विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नजदीकी से देखने और समझने का अवसर मिलेगा। उक्त दल को प्राचार्य देवेंद्रपाल सिंह ने हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।

शिक्षक रखे आदर्श आचरण : रामकिशन

निवाई। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा निवाई द्वारा शिक्षक समाज को अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए प्रदेश नेतृत्व के आ ान पर जिला कोषाध्यक्ष विमलकुमार विजय की अध्यक्षता में कर्तव्य बोध पखवाड़े का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता जिला धर्म जागरण संयोजक रामकिशन गुर्जर बहादुरपुरा ने बताया कि प्रत्येक शिक्षक को पद्धित, प्रमाणिकता एवं प्रसन्नता से कार्य करना चाहिए, प्रत्येक शिक्षक को अपना आचरण आदर्श रखना चाहिए। उपशाखा मंत्री रामनरेश विजय ने बताया कि कर्तव्य बोध पखवाड़े में पूर्व जिला मंत्री देवराजसिंह राजावत, पप्पूलाल अग्रवाल, हनुमान गुर्जर, मनोज जैन, अरविंद वैष्णव व कृष्ण शर्मा सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता व शिक्षक मौजूद थे।

कार्यालय उपायुक्त, (विद्याधर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
(अम्बाबाड़ी सामुदायिक केन्द्र, अम्बाबाड़ी सर्किल, जयपुर)
क्रमांक:- एफ.55 () वि.जोन/न.नि.ज. (ग्रे)/2024/2479 दिनांक: 23.01.25
सार्वजनिक सूचना
भूखण्ड सं. 25 श्रीरामनगर II, झोटवाड़ा, जयपुर (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा श्री बद्री सिंह पुत्र श्री जगनाथ सिंह के पक्ष में क्षेत्रफल 170.00 वर्गगज भूमि का पट्टा विलेख जारी किया गया था। मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर श्री नरेन्द्र सिंह व गोपी सिंह पुत्रान श्री बद्री सिंह व पंजीकृत हकत्याग पत्र के आधार पर श्रीमती नारंगी देवी पत्नी श्री प्रभु सिंह तीनों ने मिलकर संयुक्त रूप से उक्त भूखण्ड जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर श्री गौरव खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेंद्र खण्डेलवाल को बेचान कर दिया गया। श्री गौरव खण्डेलवाल पुत्र श्री राजेंद्र खण्डेलवाल ने भूखण्ड सं. 25 श्रीरामनगर II, झोटवाड़ा, जयपुर (शंकर भवन गृह निर्माण सहकारी समिति) का नाम हस्तान्तरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विधिवत नियमानुसार नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त, विद्याधर नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

खोया पाया

मेरा Flat No. 32/A/G-3 Ashirwad Apartment प्रताप नगर जयपुर का मूल आवंटन पत्र (4653/30.6.2023) कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें। शंकरलाल सैन-8302627923

मेरे भूखण्ड संख्या- बी-62 जे.डी.ए. की योजना पीताम्बरा योजना आगरा रोड जयपुर का जे.डी.ए. से जारी कब्जा पत्र रास्ते मै कही गुम हो गया है मिलने पर सूचित करेः- आशा देवी बंसल मो. 9413966999

2867 हवेली ठाकुर निमोडिया के पास मोहल्ला महावतान चौ, तोपखाना हुज़ूरी के असल पुराने काग़ज़ात कही गिर गया है मिलने पर सूचित करे - मोहम्मद् उमर 9269498375

नाम परिवर्तन

मैने अपना नाम कमलेश बचानी से बदलकर कमलेश कुमार बचानी पुत्र श्री कन्हैयालाल बचानी कर लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पताः प्लाट नं.-253, एफ-2, गिर्राजनगर, इस्कॉनरोड, मानसरोवर, जयपुर

मेने अपने बेटे का नाम अंशदेव से बदलकर अंशदेव भारद्वाज रख लिया है भविष्य में उसे इसी नाम से जाना जाये सुरेश कुमार पुत्र राम सिंह निवासी प्लॉट न 35, मीरा मार्ग, गोविन्द नगर आमेर रोड, जयपुर राजस्थान

I, Fazil S/O Yusuf born on 20/09/1994 residing at 42 Rashid Vihar Colony Manpur Sadwa Delhi Bypass Jaisinghpura Khor Jaipur, have changed my name to Fazil Khan vide affidavit dated 23/1/2025 at Jaipur

I Shital Kumar Kishor Bhai S/o Kishor bhai P Brahmbhatt , Address: near patrakar colony 64 century homes jagdish nagar mansarovar , jaipur has change my name from Shital Kumar Kishor Bhai to Shital Kumar Brahmbhatt for all future purposes.

नम्बर मिलाइए 9587884433

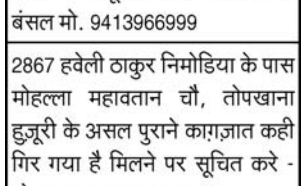

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर निकाला पथ संचलन

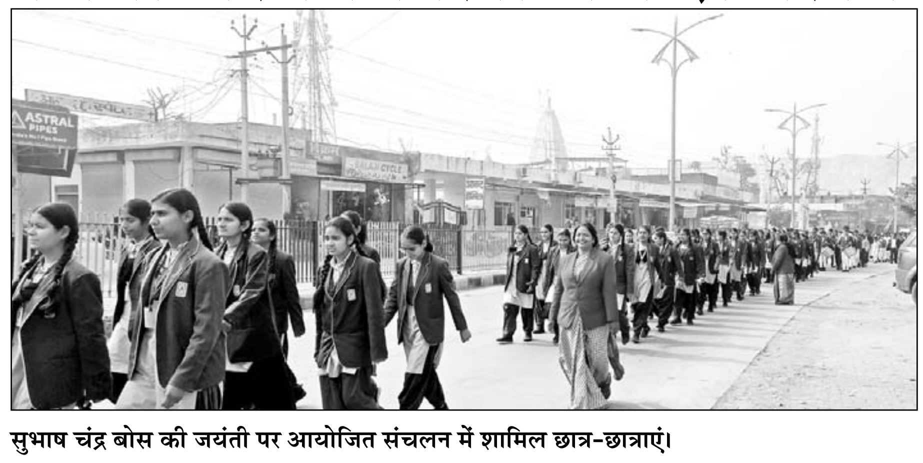

सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित संचलन में शामिल छात्र-छात्राएं।

निवाई। स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। विद्या भारती संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने शहर में पथ संचलन निकाला।

पथ संचलन को भारतीय शिक्षा प्रचार समिति जिला सदस्य ताराचंद माहुर, प्रधानाचार्य गोविंदनारायण शर्मा व पंडित मोहनलाल शर्मा ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल छात्र छात्राएं देश भक्ति से भरे नारे लगाते हुए चल रहे थे। पथ संचलन में विद्यालय के छात्रों का दल घोष बजाते हुए मधुर स्वर लहरिया निकाल रहा था। संचलन सरस्वती विद्या मंदिर से रवाना होकर महावीर कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, झिलाई रोड, कृषि मंडी, औद्योगिक क्षेत्र से होते हुए सुभाष कॉलोनी स्थित सुभाष पार्क में पहुंचा। जहां संचलन का समापन हुआ। इस अवसर पर सभी ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

प्रधानाचार्य गोविंदनारायण शर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। भारत को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले इस योद्धा की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है।इस अवसर पर प्रधानाचार्या सीमा माथुर, अवधेश राजवंशी, मूलचंद गुर्जर, शिवराज पाराशर, कमलेश सैनी, हेमराज सैनी, सत्यप्रकाश शर्मा, कन्हैयालाल सैनी, राजेंद्र जांगिड़, मदनलाल, सत्यनारायण, माधवलाल गुर्जर व प्रकाश योगी सहित कई छात्र छात्राएं मौजूद थे।

श्मशान घाट का रास्ता बंद करने पर फिर से फूटा गुस्सा

पावटा। गुरुवार को पावटा तहसील मुख्यालय के ग्राम भांकरी में बाबा गोपालदास स्थान के पास सैकड़ो साल पुराने श्मशान घाट का रास्ता बंद किए जाने से गुस्साए मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। यहां तक कि हाथापाई तक की नौबत आ गई।मुखराम धनकड, मेहर सिंह धनकड, हेमंत धनकड सहित परिजनों व ग्रामीणों का आरोप था कि ग्राम भांकरी में बाबा गोपालदास स्थान के पास सैकड़ो साल पुराना शमशान घाट बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग आए दिन श्मशान घाट का रास्ता बंद कर देते हैं। इससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में प्रशासन से आग्रह करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में उनको विरोध प्रदर्शन करना पड़ा है। परिजनों व ग्रामीणों की मांग थी कि जब तक प्रशासन मौके पर आकर रास्ता बंद करने वाले लोगो की गिरफ्तारी नहीं होगी और ग्राम पंचायत द्वारा बनाए हुए रास्ते को नशे में अंकित करते हुए समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाल देता तब तक शव का दाह संस्कार नहीं किया जायेगा। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह ग्राम दादाकाबास भांकरी में कालूराम गढवाल का निधन हो गया था। जब परिजनों व ग्रामीणों द्वारा उनके अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट ले जाया जा रहा था तो उन्होंने देखा कि श्मशान घाट ज्यों कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाया हुआ सार्वजनिक रास्ता है उसके गेट पर ताला लगाकर बंद किया हुआ था।

कुंवारा बताकर युवक ने की दूसरी शादी

जयपुर। करधनी थाना इलाके में शादीशुदा होने के बावजूद खुद को कुंवारा बताकर दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। पहली पत्नी को तलाक दिए बिना धोखा देकर आरोपी ने दूसरी शादी की। मामले का पता चलने पर पीड़िता ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

अवैध हथियार सहित एक आरोपित गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन (आग) के तहत मालपुरा गेट थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपित के कब्जे से अवैध हथियार 01 पिस्टल, 01 देसी कट्टा एवं 02 जिंदा कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपित पुलिस थाना शिवदासपुरा में हत्या के प्रकरण में वांछित है जिसके विरूद्व 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन एक्शन अगेंस्ट गन (आग) के तहत सीएसटी ने मालपुरा गेट थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार रखने वाले आरोपित कान्हा सिंह जादौन उर्फ कान्हा ठाकुर निवासी मथुरा यू.पी. को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के पास से अवैध हथियार 01 पिस्टल, 01 देसी कट्टा एवं 02 जिन्दा कारतूस को बरामद किया है।

रेलवे के नव निर्मित अवकाश गृह का लोकार्पण

अशोक माहेश्वरी एवं मंडल रेल प्रबंधक जयपुर विकास पुरवार की उपस्थिति में लोकार्पण किया।

जयपुर। उत्तर-पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के जयपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित नव निर्मित अवकाश गृह भवन का महाप्रबंधक अमिताभ ने गुरुवार को अपर महाप्रबंधक अशोक माहेश्वरी एवं मंडल रेल प्रबंधक जयपुर विकास पुरवार की उपस्थिति में लोकार्पण किया। कृष्ण कुमार मीणा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर ने बताया कि जयपुर रेलवे स्टेशन के रेल दावा अधिकरण जयपुर पीठ के पास नवनिर्मित अवकाश गृह भवन बनाया गया है।

महाप्रबंधक अमिताभ ने गुरुवार को फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मंडल एवं अन्य रेल मंडलों से जयपुर आने वाले कर्मचारियों के ठहरने के लिए इस अवकाश गृह में 10 कक्ष बनवाए गए हैं। जहां आधुनिक सुविधाओं से लैस किचन, डाइनिंग हाल, पुस्तकालय, योग कक्ष,पानी के संग्रह का हौद, सर्दियों में गर्म पानी व ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख मुख्य इंजीनियर जी. एल. गोयल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण वेद प्रकाश, अपर मंडल रेल प्रबंधक गौरव गौड़, मंडल कार्मिक अधिकारी डॉ. सुनीता चौधरी साथ ही प्रधान कार्यालय व मंडल कार्यालय के अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

मदन राठौड़ ने स्काउट के डायमंड जुबली जम्बूरी सम्मेलन में शिरकत की

''डायमण्ड जुबली जम्बूरी सम्मेलन'' शिविर में मदन राठौड़ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरूवार को राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड राज्य मुख्यालय जयपुर के ''डायमण्ड जुबली जम्बूरी सम्मेलन'' शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
जगतपुरा स्थित स्काउट प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में मदन राठौड़ ने कहा कि स्काउटिंग युवाओं को शैक्षिणक कौशल, आत्मविश्वास, नैतिकता, नेतृत्व कौशल और नागरिकता कौशल विकसित करने में मदद करती है। राठौड़ ने कहा कि स्काउटिंग समाज सेवा में योगदान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

इसमें व्यक्तित्व का विकास तो होता ही है इसके साथ ही एक अच्छा नागरिक कैसे बनें, यह भी सिखाया जाता है। स्काउट प्रशिक्षण के दौरान सिखाया गया अनुशासन व्यक्ति को जीवनभर प्रभावित करता है। स्काउट की ओर से लगने वाले जम्बूरी कैम्प में देशभर के बच्चों को एकत्रित कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से सैन्य क्षेत्र की नौकरी में स्काउट के बोनस अंक भी दिए जाते है।

कलश यात्रा निकाली

जयपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के घुमन्तु जाति उत्थान न्यास के तत्वावधान घुमंतु जाति कार्य के अखिल भारतीय प्रमुख दुर्गादास और संतों के सानिध्य में 23 जनवरी को कलश यात्रा के साथ मूर्तियों का नगर भ्रमण और पौषबड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया गय । घुमन्तु जाति महानगर संयोजक राकेश कुमार शर्मा एवं इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने बताया कि श्रीराम जन्मभूमि पर रामलला मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ के मौके पर छोटी काशी में चेतना नगरी जयसिंहपुरा खोर घुमंतु बस्ती में भव्य मंदिर निर्माण,कलश यात्रा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हवन, विशाल धर्मसभा और महाप्रसादी का आय़ोजन करवाया जा रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा एवं मदन दिलावर, सुरेश सिंह रावत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, बाबुलाल कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राणा के अध्यक्ष और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ राम मंदिर, प्रेम भंडारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, पंकज ओझा, प्रदीप कुमार , मंजू शर्मा, स्वामी बालमुकुंदाचार्य, पंकज सिंह, डॉ.एलएन रूंडला, डॉ सर्वेश शरण जोशी , डॉ विष्णुदत्त शर्मा कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे।

विधानसभा में होगी दो दिवसीय युवा संसद

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार से दो दिवसीय युवा संसद होगी। विधान सभा अध्यक्ष देवनानी शुक्रवार को प्रात: दस बजे विधान सभा के सदन में दीप प्रज्ज्वलित कर युवा संसद का शुभारम्भ करेंगे। देवनानी ने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को राजनीति क्षेत्र में कार्य करने के लिये प्रोत्साहन मिलेंगा। भावी पीढ़ी को देश की राजनीति से परिचय कराने के लिये यह प्रभावी कदम साबित होगा। इसके तहत युवा विधान सभा की कार्यप्रणाली को समझ सकेगें। राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों के युवा विधान सभा में बैठ कर दो दिन चर्चा करेगें। देवनानी ने कहा कि युवा संसद के तहत राष्ट्रीय पर्यावरण पर देश के युवाओं को समाज में शाश्वत विकास एवं पर्यावरणीय स्थिति से अवगत कराने का यह प्रयास किया जा रहा है। विधान सभा में चर्चा हेतु युवाओं का चयन करने के लिये स्टूडेंटस फॉर डवलपमेंट ने सम्पूर्ण भारत में तीन स्तरों पर एक चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रथम स्तर पर देशभर से कुल 162 विश्वविद्यालयों से 45600 प्रतिभागी जुड़े। विश्वविद्यालय स्तर पर चयनित 10 प्रतिभागी का क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न विषयों को लेकर आभासी माध्यम से प्रतियोगितायें आयोजित की गई।

असिस्टेंट प्रोफेसर व दलाल 25 हजार रु. रिश्वत लेते गिरफ्तार

- **शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा जयपुर में ए.सी.बी. की कार्रवाइ**

प्रिंसिपल राजकुमार ढाका व दलाल श्योजीराम चौधरी को परिवादी से 25 हजार रुपये की रिश्वत के रूप में प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की मुख्यालय की जयपुर टीम तृतीय ने कार्रवाई करते हुए रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा जयपुर असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिंसिपल राजकुमार ढ ाका व दलाल श्योजीराम चौधरी को परिवादी से 25 हजार रुपये की रिश्वत के रूप में प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी जयपुर टीम तृतीय को परिवादी ने शिकायत दी कि परिवादी की बीएड प्रथम वर्ष की उपस्थिति शॉर्ट नहीं करने, प्रैक्टिकल में फेल नहीं करने व बीएड प्रथम वर्ष इंटर्नशिप के लिए कॉलेज रिलिविंग लेटर (कार्य मुक्ति प्रमाण-पत्र) देने की एवज में 42 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर पिछले छह महिने से परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर टीम तृतीय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश नवल ने ट्रेप की कार्रवाई करते हुए रवि शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय नेवटा जयपुर असिस्टेंट प्रोफेसर हाल कार्यवाहक प्रिंसिपल राजकुमार ढ ाका व दलाल श्योजीराम चौधरी (ई-मित्र संचालक) नेवटा को परिवादी से 25 हजार रुपये की रिश्वत प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूचि संख्यांक 4
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) स्थान चौमूँ जिला-जयपुर
धमेन्द्र बनाम विमलादेवी
प्रार्थना पत्र संख्या 03/2019
प्रार्थना पत्र बाबत् आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी.
बनाम उगन्तीदेवी पुत्री सूजीदेवी पत्नि कैलाश, जडावदेवी पुत्री सुजीदेवी पत्नि छीगन, समस्त जाति खटीक, निवासी मण्डी खटीकान् नारायणपुरी, चार दरवाजा, जयपुर।
उक्त प्रार्थी धमेन्द्र वगै0 ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दिनांक 24.03.2015 को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किये जाने बावत् पेश किया है।
अतः आपके चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 25.02.2025 को 9.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा। आप सब अप्रार्थीगण को यह आवश्यक एवं एक मात्र अन्तिम अवसर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है।
यह आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
दिनांक 23.01.2025
मोहर अदालत
न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमू

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
11 / 20-1-25 (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्र स-4 स्थान जयपुर महानगर द्वितीय
लक्ष्मण करण राठौड विरूद्ध चन्द्रेश करण व अन्य
वाद बाबत...... वाद सं. 01 सन् 2025
बनाम
चन्द्रेश करण राठौड पुत्र स्व. श्री वासुदेव करण जाति....
विक्रम करण सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री वासुदेव करण जाति....
श्रीमती मधु कुमारी राठौड पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री वासुदेव करण जाति....
श्रीमती बृजराज कुमारी पत्नी स्व. श्री वासुदेव करण जाति..
स्थान: 323, नटवाडा हाउस, पुराना आमेर रोड, जयपुर-302002
वादी ने आपके विरूद्ध...के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 18 माह 02 सन् 2025 को दिन में 10.00 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 20 माह 01 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
वरिष्ठ रीडर
मोहर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर-द्वितीय

उत्तर पश्चिम रेलवे **आवश्यक सूचना**
सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि जयपुर-गाँधीनगर के मध्य रेलवे फाटक संख्या-219 (इमली फाटक) KM 237/3-4 को दिनांक 25.01.2025 सुबह 8:00 से दिनांक 28.01.2025 शाम 18:00 बजे तक ट्रैक मरम्मत कार्य हेतु पूर्णरूप से बन्द रहेगा, असुविधा के लिए खेद है।
102-PS/25 वरि.म.इन्जी (मुख्या.) जयपुर
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक-ज.वि.प्रा./उपा./जोन-13/2025/राजकाज-21415/डी- 138
सार्वजनिक सूचना दिनांक-23/1/25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम-चिमनपुराउर्फ डाबकानला, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 142/1 रकबा 0.37 हैक्टे, 143 रकबा 0.05 है. 146 रकबा 0.05 है0, 190 रकबा 0.10 है0, 191 रकबा 0.37 है0, 193 रकबा 0.12 है0 किता-6 कुल रकबा कुल रकबा 1.06 हैक्टे. भूमि की होटल प्रयोजनार्थ 90-ए आदेश प्रकरण संख्या-196/2017 दिनांक 29.09.2017 को महारानी रिसोर्ट एण्ड प्रमोटर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री ज्ञान चन्द पालीवाल के पक्ष मे जारी किया गया था। उपरोक्त 90-ए शुदा भूमि महारानी रिसोर्ट एण्ड प्रमोटर्स प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री ज्ञान चन्द पालीवाल खातेदार के नाम दर्ज है उक्त भूमि का नामान्तरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज करवाने हेतु इस कार्यालय मे आवेदन किया गया है। उक्त 90ए शुदा भूमि पर योजना मानचित्र अनुमोदन की कार्यवाही से यदि किसी का स्वामित्व / हित प्रभावित हो अथवा कोई आक्षेप हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस भीतर-भीतर कार्यालय उपायुक्त जोन-13, पार्किंग भवन, तृतीय तल, ज.वि.प्रा. मे समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को कोई आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 23/1/25 को जारी की गयी।
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-13 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
12 / 20.1.25 (साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्र.स. 4 स्थान जयपुर महानगर द्वितीय
लक्ष्मण करण राठौड विरूद्ध चन्द्रेश करण व अन्य
वाद/ प्रार्थना पत्र T I
प्रार्थना-पत्र संख्या 01/2025 सन्
नाम श्रीमती मधु कुमारी राठौड पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्री स्व. श्री वासुदेव करण जाति....
श्रीमती बृजराज कुमारी पत्नी स्व. श्री वासुदेव करण जाति....
विक्रम करण सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री वासुदेव करण जाति....
चन्द्रेश करण पुत्र स्व. श्री वासुदेव करण जाति....
पता नि.323, नटवाडा हाउस, पुराना आमेर रोड जयपुर-302002
उक्त वादी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि.......................................
अत: आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 18 माह 2 सन् 2025 को 10.00 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 20 माह 01 सन् 25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
मुहर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-4 जयपुर महानगर-द्वितीय न्यायालय
दिनांक 20/1/25

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 व 5)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद जिला जयपुर राज.
रविशंकर विरुद्ध गलोल
वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
वाद पत्र सं. 129 सन 2023
नाम मंजू देवी बुनकर पत्नि श्री रामअवतार बुनकर जाति बलाई नि0 कुडली तह फागी जिला जयपुर हाल नि. C/o नाथू बैरवा का मकान हरि मार्ग, विवेक विहार, न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर राज.।
वादी ने आपके विरूद्ध...उपरोक्त..... के लिये वाद संस्थित किया है आपको वादी ने आपके विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28 माह...01... वर्ष.....2025 को दिन में 10 बजे दावें का उत्तर देने के लिये उपसंजात (हाजिर) होने के लिये समन किया जाता है आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है। जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश दिया जाता है की आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसी सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावें या प्रतिदावें का समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सुचित किया जाता है कि उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगें तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारिख 21 माह 1 सन् 2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
न्यायाधीश-उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6188 दिनांक-23/01/2025
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास / फ्लैट संख्या 34/524 (HIG), (एरिया 217.247 वर्गमिटर), का आवंटन श्री सुजान सिंह पुत्र श्री ओकार लाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2815 दिनांक 05.12.2001 के द्वारा जारी किया गया था। श्री सुजान सिंह के पक्ष मे उक्त आवास/ फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.03.2002 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्री सुजान सिंह की मृत्यु दिनांक 24.08.2013 को होने से पूर्व श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्री कृष्ण मोहन पुत्रान स्व. श्री सुजान सिंह को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.12.2010 के द्वारा पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण मोहन पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह द्वारा स्वयं का 1/2 हिस्सा का उपहार पत्र श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह को दिनांक 24.11.2021 को उप पंजीयक जयपुर-नवम के यहाँ पंजीकृत करवाया गया। श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह द्वारा उक्त आवास/फ्लैट को पंजीकृत वसीयतनामा एवं उपहार पत्र के आधार पर स्वयं के नाम हस्तान्तरण आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-6189 दिनांक-23/01/2025
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना मे आवास / फ्लैट संख्या 34/526 (HIG), (एरिया 110.471 वर्गमिटर), का आवंटन श्री सुजान सिंह पुत्र श्री ओकार लाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2816 दिनांक 05.12.2001 के द्वारा जारी किया गया था। श्री सुजान सिंह के पक्ष मे उक्त आवास/फ्लैट के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 31.03.2002 को उप पंजीयक सांगानेर जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्री सुजान सिंह की मृत्यु दिनांक 24.08.2013 को होने से पूर्व श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्री कृष्ण मोहन पुत्रान स्व. श्री सुजान सिंह को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.12.2010 के द्वारा पंजीकृत करवाया गया। तत्पश्चात श्री कृष्ण मोहन पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह द्वारा स्वयं का 1/2 हिस्सा का उपहार पत्र श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह को दिनांक 24.11.2021 को उप पंजीयक जयपुर-नवम के यहाँ पंजीकृत करवाया गया। श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह द्वारा उक्त आवास/फ्लैट को पंजीकृत वसीयतनामा एवं उपहार पत्र के आधार पर स्वयं के नाम हस्तान्तरण आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय मे 7 दिवस मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड मे नाम दर्ज करने मे किसी को कोई आपत्ति नही है, श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुजान सिंह का नाम मण्डल रिकॉर्ड मे दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
सार्वजनिक सूचना
क्रमांक /न.नि.भ./2024-25/15273 दिनांक : 23.01.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती चित्रा पत्नि श्री अनिल राजौरिया निवासी जनाना अस्पताल के पास, मौहल्ला गोपालगढ, भरतपुर द्वारा भूखण्ड स्थित वार्ड नं. 34, मथुरा गेट अन्दर, नबाब गली, भरतपुर का आबादी भूमि का पट्टा चाहने हेतु इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन LD/BTPR/2024-25/207965 प्रस्तुत किया गया है। आवेदित भूखण्ड का क्षेत्रफल 139.82 वर्गमीटर है।
उक्त के सम्बन्ध में यदि व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में इस कार्यालय में अपनी लिखित आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने अवधि पट्टा दिये जाने की अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। सूचित हों।
प्रभारी अधिकारी
नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय नगर निगम, भरतपुर
सार्वजनिक सूचना
क्रमांक : योजना/एफ( )/न.नि.भ./2024-25/15215-216 दिनांक : 22.01.2025
नगर पालिका भरतपुर द्वारा नीम दरवाजा वार्ड नं. 6 स्कीम में भूमि खण्ड सं. 19 श्री कपूरचन्द गुप्ता पुत्र श्री श्यामलाल गुप्ता, जाति वैश्य, निवासी नीमदा गेट, भरतपुर को 99 वर्षीय लीज होल्ड राईट्स पर आवंटित किया गया था। तदोपरान्त भूखण्डधारी की मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नि श्रीमती अमरावती गुप्ता द्वारा प्रस्तुत रिलीजडीड के आधार पर नगर निगम भरतपुर द्वारा नाम हस्तान्तरण आदेश क्रमांक 4864-65 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा श्रीमती अमरावती पत्नि स्व. कपूर चन्द गुप्ता के पक्ष में कर दिया गया। इसके पश्चात् श्रीमती अमरावती पत्नि स्व. कपूरचन्द गुप्ता, निवासी नीम दरवाजा, भरतपुर द्वारा उक्त भूखण्ड की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 21.09.2015 से श्री मुकेश सोनी पुत्र रामजीलाल, श्रीमती कुसुमलता सोनी पत्नि श्री मुकेश सोनी, जाति स्वर्णकार, निवासी दही वाली गली, भरतपुर को विक्रय कर दिया गया। अब आवेदक श्री मुकेश सोनी पुत्र रामजीलाल व श्रीमती कुसुमलता सोनी पत्नि मुकेश सोनी द्वारा भूखण्ड संख्या 19 नीम दरवाजा भरतपुर का नाम हस्तान्तरण कराने हेतु ऑनलाईन आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया है। इस कार्यालय द्वारा नाम हस्तान्तरण किये जाने की कार्यवाही की जानी है।
इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर अवधि सात दिवस में कार्यालय नगर निगम भरतपुर में अपनी आपत्ति दर्ज करावें अन्यथा गुजरने म्याद नाम हस्तान्तरण करने की अग्रिम कार्यवाही की जावेगी एवं कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
प्रभारी अधिकारी
योजना शाखा, नगर निगम, भरतपुर

कार्यालय (वि0) नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)
क्रमांकः- ननिको उ./वि0/2025/854-860 दिनांक 22.01.2025
-:: संशोधित ई-निविदा सूचना ::-
तकनीकी कारण से इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा क्रमांक ननिको उ./वि0/2025/820-825 दिनांक 13.01.2025 को जारी की गई निविदा में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है -

1.	निविदा अपलोड करने की तिथि	: 03.02.2025 (दोपहर 12 बजे तक)
2.	धरोहर राशि / निविदा शुल्क / प्रोसेसिंग फीस प्राप्त के साक्ष्य प्राप्ती तिथि	: 03.02.2025 (सायं 5 बजे तक)
3.	निविदा तकनीकी बिड खोलने की तिथि	: 05.02.2025 (सायं 6 बजे तक)
4.	वित्तिय बिड खोलने की तिथि	: तकनीकी बिड परिक्षण पश्चात्

उक्तानुसार निविदा की तिथि बढाई जाती है। शेष शर्ते यथावत् रहेगी।
अधिशाषी अभियंता (वि0)
राज.संवाद/सी/24/10724 नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, राजगढ (अलवर)
E-mail: rajgarh.jaipur@gmail.com, Phone: 01464-220041
क्रमांकः न.पा.रा/2025/2595 **आपत्ति सूचना** दिनांकः- 23/1/25
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि निम्न आवेदक द्वारा पट्टा नामान्तरण जारी किये जाने हेतु पालिका कार्यालय मे पत्रावली प्रस्तुत की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है। इस संबंध मे किसी भी व्यक्ति/संगठन/संस्था को कोई भी आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति सूचना प्रकाशन से सात दिवस मे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। समय अवधि निकलने के पश्चात् संबंधित आवेदक को आपत्ति प्राप्त नही होने पर पट्टा नामान्तरण जारी कर दिया जावेगा। पत्रावली से संबंधित जानकारी किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय समय मे प्राप्त की जा सकती है।

क्र. स	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल	व्यवसायीक/ आवासीय	उक्त सम्पति का पूर्व विवरण
1	श्री हरिशंकर गुप्ता पुत्र चिंरजी लाल गुप्ता निवासी वाटर वर्क्स के सामने स्टेशन रोड, राजगढ (अलवर)	खसरा न. 1931,1932 राजगढ	438.89 वर्गगज	मिश्रित	पालिका के पट्टा क्रमांक 08 दिनांक 30.07.2001 का नामान्तरण कार्यालय आदेश पत्र 2023-24/
2	श्री शिवशंकर गुप्ता पुत्र चिंरजी लाल गुप्ता निवासी वाटर वर्क्स के सामने स्टेशन रोड, राजगढ (अलवर)	खसरा न. 1931 राजगढ	504.16 वर्गगज	मिश्रित	73082 दिनांक 23.01.2024 मे जारी सम्पति

उक्त सम्पति का पूर्व विवरण :- श्री हरिओम गुप्ता पुत्र श्री चिरंजी लाल गुप्ता को जारी पालिका के पट्टा क्रमांक 08 दिनांक 30.07.2001 को मृत्यु उपरान्त श्री मनीष गुप्ता, श्रीमति शालू गुप्ता, सोनू गुप्ता व विनोद गुप्ता पुत्रांन स्व. श्री हरिओम गुप्ता के नाम कार्यालय द्वारा जारी नामान्तरण पत्र 2023-24/73082 दिनांक 23.01.2024 तपरान्त उक्त सम्पति को श्री विनोद गुप्ता के नाम हक त्याग कर दिया गया। कोर्ट के डिकी आदेशानुसार उक्त सम्पति श्री श्री शिवशंकर गुप्ता पुत्र चिंरजी लाल गुप्ता तथा श्री हरिशंकर गुप्ता पुत्र चिंरजी लाल गुप्ता निवासी वाटर वर्क्स के सामने स्टेशन रोड, राजगढ (अलवर) के नाम है।
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका राजगढ (अलवर)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)
तीसरी मंजिल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली 110003,
फोनः 24695044-47, फैक्सः 24695048 वेबसाइटः http://aera.gov.in
सूचना
अधिवक्ता/कानूनी फर्म का पैनलीकरण
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA) भारत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधिकरण और अन्य न्यायालयों के समक्ष AERA की ओर से अदालती मामलों की पैरवी करने के लिए पात्र अधिवक्ताओं/कानून फर्मों से आवेदन आमंत्रित करता है।
अधिवक्ताओं/कानूनी फर्मों के पैनल के लिए पात्रता मानदंड, नियम व शर्तें तथा शुल्क अनुसूची का विवरण AERA की वेबसाइट http://aera.gov.in पर उपलब्ध है। यदि कोई शुद्धिपत्र होगा तो उसे केवल AERA की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
वेबसाइट पर जारी नोटिस एफ. संख्या एईआरए/लीगल/एम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स/लॉफर्म 2020/2023-24 दिनांक 08.03.2024 को वापस ले लिया गया है और प्रशासनिक कारणों से इसके लिए शुरू की गई एम्पैनलमेंट प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। इसलिए, जिन अधिवक्ताओं/लॉ फर्मों ने दिनांक 08.03.2024 के उपर्युक्त नोटिस के जवाब में आवेदन किया है, उन्हें भी नए सिरे से आवेदन करना होगा और उनके पहले प्राप्त आवेदन को इस नोटिस के तहत एम्पैनलमेंट के लिए नहीं माना जाएगा।
योग्य एवं इच्छुक अधिवक्ता/कानूनी फर्म AERA की वेबसाइट पर समाचार एवं घोषणा अनुभाग में दिए गए लिंक का उपयोग करके अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
केवल इस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे तथा आवेदन प्रस्तुत करने के किसी अन्य तरीके या चैनल पर विचार नहीं किया जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11/02/2025 है।
CBC 03112/12/0014/2425 एसडी/-(उप प्रमुख, एईआरए)